This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 09 मार्च, 2018 / 18 फाल्गुन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 5 मार्च, 2018

संख्याः एल0सी0डी0–बी0(2)–3 / 1997.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,

हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में तकनीकी सहायक (अभिलेखागार), वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(**1) इन नियमों का संक्षिप्त हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, तकनीकी सहायक (अभिलेखागार), वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृतियां.**––(1) अधिसूचना संख्याः एल0सी0ए0(3)–1 / 78, तारीख 13–5–81 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, तृतीय / चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का उस विस्तार तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है जहां तक कि ये तकनीकी सहायक के पद से सम्बन्धित हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
(पूर्णिमा चौहान),
सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।

————————

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में तकनीकी सहायक (अभिलेखागार), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––तकनीकी सहायक (अभिलेखागार)

2. **पद (पदों) की संख्या.**––01 (एक)

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–III (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान.––**(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैंडः ₹10300–34800 जमा ₹ 3800 / –ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः
स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 14100 / –प्रतिमास।

5. **''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.––**अचयन।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.––**18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पण.––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क) *अनिवार्य अर्हताएं* : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास के एक विषय सहित इतिहास में द्वितीय श्रेणी के साथ एम०ए०।

(ख) *वांछनीय अर्हता(एं)* : (i) राष्ट्रीय अभिलेखागार या किसी विश्वविद्यालय / संस्थान से अभिलेख प्रबंधन में प्रमाण पत्र।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––*आयु* : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––लागू नहीं।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा.––कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती / स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–I : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्कताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण–II : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः––

1. जिला लाहौल एवं स्पिति

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल

3. रोहडू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार–वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार–वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार–वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार–वृत्त, बाली चौकी उप–तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार–वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार–वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार–वृत्त।

स्पष्टीकरण–III : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :––

(i) उप–मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान ।

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के

अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रर्वग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तकु के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों। या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपरोक्त यथा निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा

जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी।

(I) **संकल्पना :**

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) को ₹ 14100/–रुपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 423/– (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी : निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया : संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति : जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार : अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें: (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 14100/–प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 423 / –(पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0–एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति / व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद / पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी।

———————

परिशिष्ट–I

1.		लिखित परीक्षा (लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे)।		85 अंक
2.		अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति से किया जाना है :–		
(i)		भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता।	= 2.5 अंक	15 अंक
		[शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुण की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 x 0. 025=1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे]।		
(ii)		यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित	= 01 अंक	
(iii)		भूमिहीन कुटुम्ब / एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	= 01 अंक	
(iv)		इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी / अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है।	= 01 अंक	
(v)		40 प्रतिशत विकृति / निःशक्तता / दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांग जन।	= 01 अंक	
(vi)		एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण–पत्र धारक / भारत स्काऊट और गाईड / राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	= 01 अंक	
(vii)		सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000 / – रुपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब।	= 02 अंक	
(viii)		विधवा / तलाकशुदा / अकिंचन / एकल महिला।	= 01 अंक	
(ix)		इकलौती पुत्री / अनाथ	= 01 अंक	
(x)		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण।	= 01 अंक	
(xi)		सरकारी / अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	= 2.5 अंक	

परिशिष्ट–II

तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री श्री ..... . निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य ..... हिमाचल प्रदेश जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..... को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ..... के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार ..... के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और .... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस अर्थात् .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14,100 / – रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला, पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा / होगी :

   परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

   परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यनूतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को आपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-B(2)-3/1997, dated 5-3-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 5th March, 2018

No. LCD-B(2)-3/1997.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal

Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Technical Assistant (Archives), Class-III (Non- Gazetted) in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh, as per **Annuexure-"A"** attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Language, Art & Culture, Technical Assistant (Archives), Class-III (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(1) The Recruitment & Promotion Rules for Class-III/Class-IV posts in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh, notified *vide* Notification No.LCA(3)-1/78, dated 13-5-1981, are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Technical Assistant.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2(1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
(PURNIMA CHAUHAN),
Secretary (LAC).

———

Annexure-A

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Technical Assistant (Archives) in the Department of Language, Art & Culture, Himachal Pradesh

1. Name of the Post.—Technical Assistant (Archives)

2. Number of Post.—1 (one)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—*(i) Pay Band for regular incumbents:—* ₹ 10300-34800+ ₹ 3800 Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees:— ₹ 14100/- as per detail given in Col. No. 15-A.

5. Whether selection post or Non selection post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be

eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who were/are finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Notes.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits.— *Essential Qualifications:—(a)* M.A. with 2nd division in History with Modern Indian History as one of the subject from a recognized University.

(b) Desirable Qualifications:—(i) Certificate in record management from the National Archives or any University/Institution.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of H.P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee (s).—*Age*: Not applicable

Educational Qualification: N/A

9. Period of Probation, if any.—Not applicable

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by Promotion, secondment, transfer, grade from which promotion /deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Junior Technical Assistant (Archives) possessing five years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service rendered, if any, in the grade :

(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except

posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote rural areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation.—I.—For the purpose of proviso (I) *supra* the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation.—II : For the purpose of proviso (I) *supra* the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmaur Sub Division of Chamba Division
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division
4. Pandrah Bis Pragna, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pragna of Kullu District
6. Bara Bhangal area of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaldh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussani, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni , Kalipur, Mangarh,Thach Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation.—III : For the purpose of proviso (I) *supra* the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20Kms., from Sub Division/Tehsil headquarters

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(1) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of

service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in according with the provision of R& P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotions rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents (s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be an Ex-serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered on the feeder post, if any prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules.

Provided that *inter-seseniority* as a result of confirmation after taking into account *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Department Promotion committee exists , what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct Recruitment.—A Candidate for appointment to any service or Post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment post by Direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which,

will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15.A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Technical Assistant (Archives) in the Department of Language, Art and Culture, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extended on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department (HOD) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC.—The Director, Language, Art and Culture Department, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Technical Assistant (Archives) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 14100 /-A.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). An amount of Rs.423/- (3% of minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Language, Art and Culture Department, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contact appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission/ Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur /other recruiting agency/ authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS: As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Staff Selection Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 14100/- per month (Which shall be equal to minimum of the Pay Band +

Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount@ ₹ 423/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.

(b) The services of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The Contract Appointee will be entitled for oneday's casual leave after putting in onemonth's service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the unavailed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the Calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate(s) shall be re-examined for fitness by an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to their regular counterpart at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Not Applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

APPENDIX-I

1.	(Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks).	85 marks
2.	Evaluation of candidate to be made in the following manner:— (i) Weightage for the minimum educational qualification, Prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks [Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)] (ii) Belonging to notified Backward Area or Panchyat, as the case may be. =01 Marks (iii) Land less family /family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority =01 Marks (iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. = 01 Marks (v) Differently disabled persons with more than 40% impairment/disability / infirmity. = 01 Marks (vi) NSS (at least one year)/ certificate holders in NCC / The Bharat Scout and Guide / Medal winner in National Level sports competitions. = 01 Marks (vii) BPL family having annual income (from all source) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. = 02 Marks (viii) Widow /divorced / destitute / single woman. = 01 Marks (ix) Single daughter / Orphan. = 01 Marks (x) Training of at least 6 months duration related to the post applied	15 marks

	for from a recognized University/Institution. = 01 Marks (xi) Experience upto a maximum of 5 years on Govt./ Semi- Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) = 2.5 Marks	

Appendix-II

Form of contract/ agreement to be executed between the Technical Assistant (Archives) and the Government of Himachal Pradesh through Director, Language, Art & Culture Department, H. P.

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....between Sh./Smt.....s/o/d/o Shri.....r/o.....Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through _____ (hereinafter called the SECOND PARTY). Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a _____ on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a _____ for a period of one year commencing on day of ….and ending on the day of…… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the_____FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on_____and information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension/renewal of contract period, the Head of the Department (HOD) shall issue a certificate that service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of The FIRST PARTY will be Rs. 14100/- per month

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual appointee will be entitled for oneday's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

   Provided that the unavailed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the Calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instruction of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to their regular counter part at the minimum of pay scale.

9. The employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual employee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNEES :

1. .....
   .....
   .....
   (Name and full address)

2 .....
   .....
   ..... (Signature of the First Party)
   (Name and full address)

1. .....
   .....
   .....
   (Name and full address)

2. .....
   .....
   .....
   (Name and full address) (Signature of the Second Party)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 7 मार्च, 2018

संख्या वि0स0–विधायन–अनु0 बजट / 1–28 / 2018.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक–1) जो आज दिनांक 7 मार्च, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

————————

2018 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. सक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए ₹ 33,27,47,34,196 की और राशि जारी करना।

3. विनियोग ।

अनुसूची।

————————

2018 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2018 है ।

2. **हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए ₹ 33,27,47,34,196 की और राशि जारी करना.**––हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से **अनुसूची** के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां, जिनका योग केवल ₹ 33,27,47,34,196 (तीन हजार तीन सौ सत्ताईस करोड़, सैंतालीस लाख चौंतीस हजार एक सौ छियानवे रुपए) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2017–2018 की अवधि में **अनुसूची** के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. **विनियोग.**––इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित **अनुसूची** में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹ में	संचित निधि पर प्रभारित ₹ में	कुल ₹ में
1	2		3	4	5
1	विधान सभा	(राजस्व)	4,21,94,086	21,66,000	4,43,60,086
		(पूंजीगत)	30,00,000	—	30,00,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	2,70,10,000	88,96,000	3,59,06,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	15,98,53,203	2,61,45,000	18,59,98,203
		(पूंजीगत)	12,99,98,000	—	12,99,98,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	19,52,85,900	2,51,73,000	22,04,58,900
		(पूंजीगत)	1,84,17,000	—	1,84,17,000
5	भू-राजस्व व जिला प्रशासन	(राजस्व)	1,06,02,67,000	2,44,000	1,06,05,11,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	9,23,25,000	—	9,23,25,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	91,33,39,868	7,79,517	91,41,19,385
		(पूंजीगत)	68,03,000	—	68,03,000
8	शिक्षा	(राजस्व)	2,79,57,66,277	—	2,79,57,66,277
		(पूंजीगत)	94,57,03,000	—	94,57,03,000
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(राजस्व)	1,62,29,78,500	4,96,284	1,62,34,74,784
		(पूंजीगत)	1,25,62,01,000	—	1,25,62,01,000

1	2		3	4	5
10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	(राजस्व)	1,55,70,32,000	7,94,585	1,55,78,26,585
		(पूंजीगत)	1,35,41,63,000	18,14,26,586	1,53,55,89,586
11	कृषि	(राजस्व)	31,72,14,296	—	31,72,14,296
12	उद्यान	(राजस्व)	46,26,72,828	—	46,26,72,828
		(पूंजीगत)	12,00,00,000	—	12,00,00,000
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व)	1,77,80,67,515	—	1,77,80,67,515
		(पूंजीगत)	77,94,52,000	—	77,94,52,000
14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व)	20,000	—	20,000
		(पूंजीगत)	39,98,000	—	39,98,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	(राजस्व)	21,85,87,000	—	21,85,87,000
		(पूंजीगत)	66,47,50,000	—	66,47,50,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	18,81,96,000	21,83,741	19,03,79,741
		(पूंजीगत)	33,15,000	—	33,15,000
17	निर्वाचन (राजस्व)		23,86,58,752	—	23,86,58,752
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व)	2,44,39,810	—	2,44,39,810
		(पूंजीगत)	44,45,000	—	44,45,000
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व)	1,00,87,02,493	—	1,00,87,02,493
		(पूंजीगत)	1,00,00,000	—	1,00,00,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	31,88,14,000	24,41,000	32,12,55,000
		(पूंजीगत)	26,17,000	—	26,17,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	1,94,45,239	—	1,94,45,239
		(पूंजीगत)	56,32,51,200	—	56,32,51,200
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व)	55,15,29,983	—	55,15,29,983
23	विद्युत विकास	(राजस्व)	2,72,31,628	—	2,72,31,628
		(पूंजीगत)	2,29,85,28,000	—	2,29,85,28,000
24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	(राजस्व)	5,22,92,974	—	5,22,92,974
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	91,17,72,753	—	91,17,72,753
		(पूंजीगत)	5,90,00,000	—	5,90,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	50,21,39,500	—	50,21,39,500
		(पूंजीगत)	1,55,79,000	—	1,55,79,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	9,29,17,516	—	9,29,17,516
		(पूंजीगत)	2,65,00,000	—	2,65,00,000

1	2		3	4	5
28	शहरी विकास, नगर एवं	(राजस्व)	15,10,54,000	—	15,10,54,000
	ग्राम योजना तथा आवास	(पूंजीगत)	7,50,00,000	—	7,50,00,000
29	वित्त	(राजस्व)	33,62,91,817	3,17,42,38,000	3,51,05,29,817
		(पूंजीगत)	3,000	3,95,28,60,000	3,95,28,63,000
30	विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व)	18,38,91,000	2,53,61,334	20,92,52,334
		(पूंजीगत)	4,71,41,000	—	4,71,41,000
31	जनजातीय विकास	(राजस्व)	41,50,68,900	45,12,000	41,95,80,900
		(पूंजीगत)	38,89,03,000	—	38,89,03,000
32	अनुसूचित जाति	(राजस्व)	33,82,33,111	—	33,82,33,111
	उप-योजना	(पूंजीगत)	48,69,57,000	—	48,69,57,000
	जोड़	**(राजस्व)**	**16,60,32,92,949**	**3,27,34,30,461**	**19,87,67,23,410**
		(पूंजीगत)	**9,26,37,24,200**	**4,13,42,86,586**	**13,39,80,10,786**
		कुल जोड़	**25,86,70,17,149**	**7,40,77,17,047**	**33,27,47,34,196**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित और धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
तारीख 7 मार्च, 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(वित्त विभाग नस्ति संख्या: फिन-ए.सी. (6)2/2017)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के सविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 1 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2018

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.

2. Issue of a further sum of ₹ 33,27,47,34,196 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2017-2018.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

Bill No. 1 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 2018.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2018.

2. Issue of a further sum of ₹ 33,27,47,34,196 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2017-2018.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the SCHEDULE amounting in the aggregate to a sum of ₹ 33,27,47,34,196 (Rupees Three Thousand Three Hundred Twenty Seven crores, Forty Seven Lakh, Thirty Four Thousand One Hundred Ninety Six only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2017-2018 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the SCHEDULE.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* Sections 2 and 3)

Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			in ₹	in ₹	in ₹
1	2		3	4	5
1	Vidhan Sabha	(Revenue)	4,21,94,086	21,66,000	4,43,60,086
		(Capital)	30,00,000	—	30,00,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	2,70,10,000	88,96,000	3,59,06,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	15,98,53,203	2,61,45,000	18,59,98,203
		(Capital)	12,99,98,000	—	12,99,98,000
4	General Administration	(Revenue)	19,52,85,900	2,51,73,000	22,04,58,900
		(Capital)	1,84,17,000	—	1,84,17,000
5	Land Revenue and District Administration	(Revenue)	1,06,02,67,000	2,44,000	1,06,05,11,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	9,23,25,000	—	9,23,25,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	91,33,39,868	7,79,517	91,41,19,385
		(Capital)	68,03,000	—	68,03,000
8	Education	(Revenue)	2,79,57,66,277	—	2,79,57,66,277
		(Capital)	94,57,03,000	—	94,57,03,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	1,62,29,78,500	4,96,284	1,62,34,74,784
		(Capital)	1,25,62,01,000	—	1,25,62,01,000
10	Public Works—Roads, Bridges and Buildings	(Revenue)	1,55,70,32,000	7,94,585	1,55,78,26,585
		(Capital)	1,35,41,63,000	18,14,26,586	1,53,55,89,586
11	Agriculture	(Revenue)	31,72,14,296	—	31,72,14,296
12	Horticulture	(Revenue)	46,26,72,828	—	46,26,72,828
		(Capital)	12,00,00,000	—	12,00,00,000
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue)	1,77,80,67,515	—	1,77,80,67,515
		(Capital)	77,94,52,000	—	77,94,52,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue)	20,000	—	20,000
		(Capital)	39,98,000	—	39,98,000
15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Revenue)	21,85,87,000	—	21,85,87,000
		(Capital)	66,47,50,000	—	66,47,50,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	18,81,96,000	21,83,741	19,03,79,741
		(Capital)	33,15,000	—	33,15,000

1	2		3	4	5
17	Election	(Revenue)	23,86,58,752	—	23,86,58,752
18	Industries, Minerals, Supplies & Information Technology	(Revenue)	2,44,39,810	—	2,44,39,810
		(Capital)	44,45,000	—	44,45,000
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue)	1,00,87,02,493	—	1,00,87,02,493
		(Capital)	1,00,00,000	—	1,00,00,000
20	Rural Development	(Revenue)	31,88,14,000	24,41,000	32,12,55,000
		(Capital)	26,17,000	—	26,17,000
21	Co-operation	(Revenue)	1,94,45,239	—	1,94,45,239
		(Capital)	56,32,51,200	—	56,32,51,200
22	Food and Civil Supplies	(Revenue)	55,15,29,983	—	55,15,29,983
23	Power Development	(Revenue)	2,72,31,628	—	2,72,31,628
		(Capital)	2,29,85,28,000	—	2,29,85,28,000
24	Printing and Stationery	(Revenue)	5,22,92,974	—	5,22,92,974
25	Road and Water Transport	(Revenue)	91,17,72,753	—	91,17,72,753
		(Capital)	5,90,00,000	—	5,90,00,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue)	50,21,39,500	—	50,21,39,500
		(Capital)	1,55,79,000	—	1,55,79,000
27	Labour, Employment and Training	(Revenue)	9,29,17,516	—	9,29,17,516
		(Capital)	2,65,00,000	—	2,65,00,000
28	Urban Development, Town and Country Planning and Housing	(Revenue)	15,10,54,000	—	15,10,54,000
		(Capital)	7,50,00,000	—	7,50,00,000
29	Finance	(Revenue)	33,62,91,817	3,17,42,38,000	3,51,05,29,817
		(Capital)	3,000	3,95,28,60,000	3,95,28,63,000
30	Miscellaneous General Services	(Revenue)	18,38,91,000	2,53,61,334	20,92,52,334
		(Capital)	4,71,41,000	—	4,71,41,000
31	Tribal Development	(Revenue)	41,50,68,900	45,12,000	41,95,80,900
		(Capital)	38,89,03,000	—	38,89,03,000
32	Scheduled Castes Sub-Plan	(Revenue)	33,82,33,111	—	33,82,33,111
		(Capital)	48,69,57,000	—	48,69,57,000
	Total	**(Revenue)**	**16,60,32,92,949**	**3,27,34,30,461**	**19,87,67,23,410**
		(Capital)	**9,26,37,24,200**	**4,13,42,86,586**	**13,39,80,10,786**
		Grand Total	**25,86,70,17,149**	**7,40,77,17,047**	**33,27,47,34,196**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the

Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2017-2018.

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

SHIMLA :
The 7th March, 2018.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin-A-C (6)-2/2017]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2018, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सुभाष भट्ट स्व0 पुत्र श्री बृज मोहन, निवासी वार्ड नं0 8 यमुना मन्दिर पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता

प्रकरण संख्या : 47 / 17 .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा .–– प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुभाष भट्ट स्व0 पुत्र श्री बृज मोहन, निवासी वार्ड नं0 8 यमुना मन्दिर पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र दक्ष भट्ट की जन्म तिथि 15–03–2015 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 15–03–2015 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को दक्ष भट्ट की जन्म तिथि ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12–03–2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त दक्ष भट्ट की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13–02–2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री दीप चन्द पुत्र मेहर सिंह, निवासी ग्राम भजौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 37 ए के तहत नाम दुरूस्ती बारे।

श्री दीप चन्द पुत्र मेहर सिंह, निवासी ग्राम भजौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना–पत्र मय परिवार रजिस्टर नक्ल, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी एवं आधार कार्ड प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी दीप चन्द पुत्र मेहर सिंह अपने परिवार अभिलेख के मुताबिक राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भजौन में दीप राम पुत्र मेहर सिंह की जगह दीप चन्द पुत्र मेहर सिंह दर्ज कराना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 15–3–2018 से पूर्व या दिनांक 15–03–2018 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधिके पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र श्री दीप चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 19–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

————————

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 04/2018 Date of Institution : 05-02-2018 Date of Decision/ Fixed for : 12-03-2018

Shri Gurmail Singh son of Shri Kapur Chand, r/o Village Kaimbanwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P.

Versus

General Public through Gram Panchayat Mandhala, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Application unde Section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Gurmail Singh son of Shri Kapur Chand, r/o Village Kaimbanwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. has filed an application under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her Daughter namely Anu Devi daughter of Shri Gurmail Singh, r/o Village Kaimbanwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. was born on 03-08-2005 at Village Kaimbanwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. but her birth could not be registered in the birth records of Gram Panchayat Kaimbanwala, Tehsil Baddi , District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Kaimbawala, Tehsil Baddi, District Solan for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Anu Devi daughter of Shri Gurmail Singh, r/o Village Kaimbanwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. may file their objection in this court on or before 12-03-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 05th day of February, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan, H. P.

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)
Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 42/2018 Date of Institution : 07-02-2018 Date of Decision/ Fixed for : 12-03-2018

Shri Parteek son of Shri Ishwar Chander, r/o Ward No. 02, Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) and Smt. Nidhi Sharma d/o Shri Pardeep, r/o Ekta Colony, Bye Pass Road, Paonta Sahib (H. P.).

Versus

General Public through Municipal Council Baddi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Application under Section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Parteek son of Shri Ishwar Chander, r/o Ward No. 02, Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) and Smt. Nidhi Sharma d/o Shri Pardeep, r/o Ekta Colony, Bye Pass Road, Paonta

Sahib (H.P.). has filed joint application under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavit, marriage Photo & other documents, stating therein that their marriage was solemnized as per Hindu rites on 27-11-2015 at their residence of Ward No. 02, Baddi, Tehsil Baddi, District Solan, H. P., but their marriage could not be registered in the marriage record of Municipal Council Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Executive Officer cum marriage Registrar, Municipal Council Baddi, Tehsil Baddi, District Solan for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the marriage of Shri Parteek son of Shri Ishwar Chander, r/o Ward no. 02, Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) and Smt. Nidhi Sharma d/o Shri Pardeep, r/o Ekta Colony, Bye Pass Road, Paonta Sahib (H.P.) may file their objection in this court on or before 12-03-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 07th day of February, 2017.

Seal.

MUKESH SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan, H. P.

CHANGE OF NAME

I, Rohit Thakur s/o Shri Shishi Ram, r/o Village Bichhan, P.O. Turan, Tehsil Jubbal, District Shimla do hereby affirm and declare that the name of my son born on 10-09-2017 at KNH Shimla was wrongly entered as Anirudh whereas the actual name is AADISH. The correct name AADISH be entered in the birth record of KNH Shimla.

ROHIT THAKUR
s/o Sh. Shishi Ram, r/o Village Bichhan,
P.O. Turan, , Tehsil Jubbal,
District Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है